निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 श्रावण 1936 (श0)

(सं0 पटना 645) पटना, शुक्रवार, 8 अगस्त 2014

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

7 अगस्त 2014

सं0 सं0का0–1/वि0मं0(सदस्यों का वेतन एवं भत्ते)05–02/2011(पार्ट)–808––बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं0–16, 2006) की धारा–8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) नियमावली, 2006 (समय–समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2014

1. **संक्षिप्त नाम और आरंभ।** – (1) यह नियमावली बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2014 कही जा सकेगी।

   (2) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 10 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:–

   ''**10 रेल/विमान से यात्रा की सुविधा।** – प्रत्येक सदस्य को, उनके कार्यों के सम्पादन हेतु अधिकतम चार सहयात्री के साथ भारत के भीतर किसी स्थान या स्थानों की यात्रा के लिए रेल/विमान यात्रा हेतु एक वित्तीय वर्ष में ₹2,00,000/- (दो लाख) तक की राशि अनुमान्य होगी।''

3. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 17 का उप–नियम (4) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

'' **(4) रेल/विमान से यात्रा की सुविधा।** – बिहार विधान मण्डल के पूर्व सदस्य को अधिकतम तीन सहयात्री के साथ भारत के भीतर किसी स्थान या स्थानों की यात्रा के लिए रेल/विमान यात्रा हेतु एक वित्तीय वर्ष में ₹1,00,000/- (एक लाख) तक की राशि अनुमान्य होगी :

परन्तु, वैसे पूर्व सदस्य भी, जो केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय के अधीन वेतन पर नियोजित हैं, रेल/विमान यात्रा के हकदार होंगे :

परन्तु और कि, वे रेल/विमान से की गयी यात्रा के लिए अपने विश्वविद्यालय/कॉलेज से यात्रा–भत्ता/दैनिक–भत्ता प्राप्त नहीं कर सकेंगे तथा उन्हें इस आशय का शपथ–पत्र, यथास्थिति, सचिव, विधान–सभा/सचिव, विधान परिषद् को एवं अपने नियोजन के प्राधिकार को देना होगा।''

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बृज राज राय,
सरकार के उप–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 645-571+1000-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in